समाहर्त्ता–सह–जिला दण्डाधिकारी का न्यायालय, बोकारो।

अधिहरण वाद संख्या–30 / 2023–24
जिला खनन पदाधिकारी, बोकारो (राज्य)
–बनाम्–
दीपक महली
–::आदेश::–

18.09.2023

अभिलेख उपस्थापित। अभिलेख एवं उसमें संलग्न कागजातों का अवलोकन किया गया। जिला खनन पदाधिकारी, बोकारो के अधियाचना सं0–33 / 2023, दिनांक–13.07.2023 के द्वारा सूचित किया गया है कि चास(मु0) थाना कांड सं0–98 / 2019, दिनांक–16.09.2019, धारा–414 / 34 भा0द0वि0 21 खान एवं खनिज अधिनियम के अन्तर्गत जप्त वाहन रजि0 सं0–JH09AT-5766 एवं उस पर लदा करीब 02 टन अवैध कच्चा कोयला, वाहन मालिक श्री दीपक महली पिता रोहनी महली, सा0–44 मानगो, केवटडीह, तांतरी, थाना बालीडीह, जिला बोकारो के विरूद्ध कच्चा कोयला के अवैध खनन एवं परिवहन करने के आरोप में दर्ज किया गया है। फलस्वरूप उनके The Jharkhand Minerals (Prevention of illegal Mining, Transportation and Storage) Rules, 2017 के तहत जप्त वाहन एवं उस पर लदे कोयला खनिज को राजसात् की कार्यवाही करने हेतु यह वाद दायर किया गया है।

उक्त के क्रम में राज्य सरकार की ओर से विज्ञ सरकारी अधिवक्ता, बोकारो को सुना गया। विपक्षी सुनवाई के दौरान पुकार पर अनुपस्थित पाये गये।

राज्य सरकार की ओर से विद्वान सरकारी अधिवक्ता के द्वारा दलील दिया गया कि दिनांक–16.09.2019 को प्रातः 4:00 बजे वादी को गुप्त सूचना मिली कि प्रश्नगत बोलेरो पिकअप वैन में अवैध कच्चा कोयला लोड कर राज्य के बाहर ले जाया जा रहा है। जिसके सत्यापन के लिए वादी द्वारा सशस्त्र बल के साथ कालापत्थर के पास चेकिंग लगाया गया। इसी दौरान वादी को सूचना मिली कि प्रश्नगत वाहन नावाडीह एन0एच0 32 के पास रोका गया था। लेकिन मौका देखकर वह वाहन

भागने में सफल रहा है। वादी द्वारा उस वाहन को कालापत्थर के पास रोक कर चेक किया गया तो वाहन में कोई नम्बर अंकित नहीं था। मालिक/चालक से वाहन संबंधित कागजात की माँगे जाने पर कोई कागजात प्रस्तुत नहीं किया गया। उनसे पुछताछ करने पर बताया गया कि नामजद प्राथमिक अभियुक्त द्वारा बंगाल में कोयला डीपो चलाते है। उसी डीपो में अवैध रूप से कोयला का तस्करी कर भंडारण किया जाता है। जिसे बाद में कोयला को ज्यादा मुनाफा लेकर बेचा जाता है। उपरोक्त तथ्यों से स्पष्ट है कि चालक/मालिक के द्वारा अवैध तरीके से प्रश्नगत कोयले का परिवहन किया जा रहा था, जो संज्ञेय अपराध की श्रेणी में आता है। उपरोक्त वर्णित परिस्थिति में अवैध रूप से कोयले का खनन/परिवहन के आरोप में Jharkhand Minerals (Prevention of Illegal Mining, Transportation and Storge) Rules, 2017 के अन्तर्गत विपक्षी को किसी प्रकार की छुट नहीं दी जा सकती है।

विपक्षी को निबंधित डाक के माध्यम से नोटिस भेजा गया था किन्तु नोटिस बिना तामिला के ही वापस हो गया। तत्पश्चात समाचार पत्र के माध्यम से आम सूचना का प्रकाशन कर विपक्षी को न्यायालय में उपस्थित होकर अपना पक्ष रखने के लिए सूचित किया गया। उसके बाद भी वह वाद के सुनवाई के दौरान पुकार पर अनुपस्थित है। उनके द्वारा अपने बचाव में अब तक किसी भी प्रकार का कारण–पृच्छा भी दाखिल नहीं किया गया है, जिससे स्पष्ट होता है कि उन्हें अपने बचाव में कुछ भी नहीं कहना है।

उपरोक्त तथ्यों के आलोक में मैं इस निष्कर्ष पर पहुँचता हूँ कि प्रश्नगत वाहन के चालक/मालिक के द्वारा बिना परिवहन चालान के ही कोयले का परिवहन किया जा रहा था। बिना वैध कागजात के कोयले का परिवहन करने से सरकार को राजस्व की क्षति हुई है। जप्त वाहन को अवैध रूप से कोयला का खनन कर परिवहन करने के आरोप में The Jharkhand Minerals (Prevention of Illegal Mining, Transportation and Storge) Rules, 2017 के तहत प्रतिवादी

को किसी भी प्रकार की छुट नहीं दी जा सकती है। अतः जिला खनन पदाधिकारी, बोकारो के अधियाचना सं0–33/2023, दिनांक–13.07.2023 को स्वीकृत करते हुए चास(मु0) थाना कांड सं0–98/2019, दिनांक–16.09.2019 के अन्तर्गत जप्त वाहन रजि0 सं0–JH09AT-5766 एवं उस पर लदा करीब 02 टन अवैध कच्चा कोयला को राज्य सरकार के हित में राजसात् (Confiscate) किया जाता है एवं वाद की कार्यवाही समाप्त की जाती है।

तद्नुसार जिला खनन पदाधिकारी, बोकारो को सूचित करें।

लेखापित एवं संशोधित।

18.9.23

समाहर्त्ता–सह–जिला दण्डाधिकारी
बोकारो।

18.9.23

समाहर्त्ता–सह–जिला दण्डाधिकारी,
बोकारो।

Digitally signed by VIJAYA NARAYANRAO JADHAV
Date: 2024.07.19 11:21:32 +05:30
Location: 192.168.1.103